

रिपोर्ट पटवारी हत्या/आंदोलन/आरोपी के नामों में जांच की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट का नाम गुरुचन्द जमाबन्दी के खाता नंबर 115 है। गुरुचन्द जमाबन्दी के खाता नंबर 115 है। जिसके दरतावेजे अर्थात् पटवारी हत्या/आंदोलन/आरोपी के नाम गुरुचन्द जमाबन्दी के खाता नंबर 115 है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक: 12/11/2020

क्रमांक: राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम गुरुचन्द जमाबन्दी के खाता नंबर 115 है। आवेदक का नाम गुरुचन्द जमाबन्दी के खाता नंबर 115 है।

1307
2020

उक्त किता जागीर उचित है।
तहसीलदार (भू.अ.)
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंबई (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	मोहनगढ़	2075-2078	115	गुरुचन्द जमाबन्दी	गुरुचन्द जमाबन्दी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/1062-63
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 12/11/20

1. तहसीलदार (भू.अ.) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

